मध्यप्रदेश शासन
स्कूल शिक्षा विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल–462004

क्रमांक / एफ 44–4 / 2020 / 20–2 भोपाल दिनांक 20-09-2020

प्रति,

1. समस्त जिला कलेक्टर
   जिला मध्यप्रदेश.
2. समस्त जिला शिक्षा अधिकारी
   जिला –मध्यप्रदेश.
3. समस्त सहायक आयुक्त,
   आदिवासी विकास

विषयः– शासकीय स्कूलों हेतु स्कूल रि–ओपनिंग के लिए स्टैण्डर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर (एसओपी)
संदर्भः– स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार का पत्र दिनांक 8.9.2020.

गृह मंत्रालय भारत सरकार के अर्द्धशासकीय पत्र दिनांक 29.8.2020 में कक्षा 9वीं से 12वीं तक के लिए स्कूलों को दिनांक 21.9.2020 आंशिक रूप से खोले जाने का उल्लेख किया गया था। इसके लिए स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा दिनांक 8.9.2020 को स्टैण्डर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर (एसओपी) जारी किया गया है। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा अग्रेंजी में जारी की गई एसओपी के आधार पर राज्य शासन द्वारा प्रदेश के समस्त स्कूलों हेतु हिन्दी में एसओपी तैयार कर दिनांक 11.09.2020 को जारी किया गया ।

2. दिनांक 11.09.2020 को जारी स्टैण्डर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर (एसओपी) के अनुकम में शासकीय विद्यालयों के लिए स्टैण्डर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर (एसओपी) सबंधी विस्तृत निर्देश जारी किये जा रहे है। यहाँ यह स्पष्ट किया जाता है कि प्रदेश के किसी विद्यालय में नियमित कक्षाओं का संचालन नही किया जाएगा ।

संलग्नः–शासकीय विधालयों के लिए स्टैण्डर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर (एसओपी)

20/9/2020
(प्रमोद सिंह)
उप सचिव
म.प्र.शासन,स्कूल शिक्षा विभाग

क्रमांक / एफ 44–4 / 2020 / 20–2 भोपाल दिनांक 20.09.2020

प्रतिलिपिः–

1. निज सचिव, माननीय राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) म0प्र0 शासन स्कूल शिक्षा विभाग की ओर सूचनार्थ।
2. निज सचिव, प्रमुख सचिव म0प्र0 शासन स्कूल शिक्षा विभाग, मध्यप्रदेश
3. प्रमुख सचिव म0प्र0 शासन आदिम जाति कल्याण विभाग,मध्यप्रदेश
4. आयुक्त, लोक शिक्षण / राज्य शिक्षा केन्द्र / आदिम जाति कल्याण विभाग,मध्यप्रदेश
5. समस्त संभागीय आयुक्त,(राजस्व), मध्यप्रदेश
6. संभागीय संयुक्त संचालक, लोक शिक्षण मध्यप्रदेश

20/9/2020
उप सचिव
म.प्र.शासन,स्कूल शिक्षा विभाग

म.प्र. शासन, स्कूल शिक्षा विभाग

स्वैच्छिक आधार पर कक्षा 9वीं से 12वीं के विद्यार्थियों द्वारा अपने शिक्षकों से मार्गदर्शन प्राप्त करने के लिए, शासकीय विद्यालयों में गतिविधियों को आंशिक रूप से पुनः प्रारंभ करने हेतु स्टैण्डर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर (एस.ओ.पी.)

भारत सरकार द्वारा गतिविधियों की चरण-वार अनलॉकिंग की जा रही है। इसी सन्दर्भ में स्वैच्छिक आधार पर कक्षा 9वीं से 12वीं के विद्यार्थियों के लिए अपने शिक्षकों से मार्गदर्शन प्राप्त करने हेतु, स्कूलों में गतिविधियों को आंशिक रूप से पुनः प्रारंभ करने की अनुमति 21 सितंबर 2020 से दी गयी है। इस स्टैण्डर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर (एस.ओ.पी.) में विद्यालयों द्वारा 9 वीं से 12 वीं कक्षा के विद्यार्थियों को स्कूल आने की अनुमति देने के समय कोविड-19 के प्रसार को रोकने के लिए अपनाए जाने वाले विभिन्न सामान्य और विशिष्ट एहतियाती उपायों की रूपरेखा दी गयी हैं।

1. विद्यालय का सैनिटाइज़ेशन (सफाई) और डिसइन्फेक्शन (कीटाणुशोधन)

1.1 विद्यालयों को खोलने के पहले की सफ़ाई संबंधी कार्यवाही:

1.1.1 केवल कन्टेनमेंट ज़ोन के बाहर के विद्यालय खोलने की अनुमति होगी। इसके अलावा, कन्टेनमेंट ज़ोन में निवासरत विद्यार्थियों, शिक्षकों और कर्मचारियों को स्कूल में उपस्थित होने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

1.1.2 सभी विद्यालयों को खोलने के पहले प्राचार्य द्वारा **परिशिष्ट-1** पर दिए निर्देशानुसार विद्यालय के सभी शिक्षण/ डेमोंस्ट्रेशन संबंधी कार्यक्षेत्र, प्रयोगशालाओं, पीने के पानी के और हाथ धोने के स्टेशनों, वॉशरूम, लैवेटरी और अन्य सामान्य उपयोग वाले क्षेत्रों को 1% सोडियम हाइपोक्लोराइट सोल्यूशन से साफ़ और कीटाणुशोधित कराया जायेगा।

1.1.3 विद्यालय की सफ़ाई और कीटाणुशोधन हेतु स्वास्थ्य और परिवार मंत्रालय द्वारा कार्यालयों सहित आम सार्वजनिक स्थानों के कीटाणुशोधन के लिए जारी दिशानिर्देश (disinfection of common public places including offices) का पालन किया जा सकता है, जो निम्नलिखित लिंक पर उपलब्ध हैं: https://www.mohfw.gov.in/pdf/Guidelinesondisinfectionofcommonpublicplacesincludingoffices.pdf

1.1.4 जिन विद्यालयों को जिला प्रशासन द्वारा अधिग्रहित किया गया हो, उसे प्राचार्य द्वारा विद्यालय को खोले जाने से पहले ज़िला प्रशासन से वापस प्राप्त किया जायेगा। ऐसे विद्यालय जिन का ज़िला प्रशासन द्वारा क्वारेंटीन सेंटर के रूप में उपयोग किया गया हो, उन्हें जिला प्रशासन द्वारा प्राचार्य को

वापस करने से पहले साफ़ और कीटाणुशोधित कराया जायेगा। प्राचार्य ऐसे विद्यालयों को प्राप्त करने से पहले सुनिश्चित करेंगे कि जिला प्रशासन द्वारा विद्यालय की सफ़ाई और कीटाणुशोधन करा दिया गया है।

1.1.5 विद्यालय प्रशासन द्वारा सैनिटाइज़ेशन का कार्य मेहनताने के भुगतान के आधार पर किसी व्यक्ति/ सफाई कर्मी से कराया जा सकता है। बड़े भवन/ परिसर वाले विद्यालयों में आवश्यकता अनुसार एक से अधिक लोगों से भी यह कार्य कराया जा सकता है। इस हेतु विद्यालय की प्रबंधन समिति के निर्णय अनुसार एक या अधिक व्यक्ति/ सफाई कर्मी का चयन कर उन्हें यह कार्य सौंपा जायेगा।

1.1.6 सफ़ाईकर्ता द्वारा सफ़ाई और कीटाणुशोधन का कार्य करने के दौरान चश्मा, मास्क/रुमाल, दस्ताने और हेडकवर (सर को ढँकने हेतु कपड़े या गमछे) का उपयोग किया जाये।

1.1.7 सैनिटाइज़ेशन का कार्य करने वाले व्यक्ति/ सफाई कर्मी को सफाई के लिए आवश्यक सामग्री और उपकरण विद्यालय द्वारा उपलब्ध कराया जाएगा।

1.1.8 सैनिटाइज़ेशन हेतु आवश्यक सामग्रियों का क्रय शासकीय नियमों का पालन करते हुए विद्यालय की प्रबंधन समिति के निर्णय अनुसार, इस हेतु प्राप्त राशि/ स्कूल ग्रांट या स्थानीय निधि से किया जायेगा।

1.1.9 क्रय करके लाये गए रसायनों, क्लीनर्स, आदि को ताले युक्त भण्डार-कक्ष की ताले युक्त अलमारी में विद्यार्थियों और अन्य लोगों की पहुँच से दूर सुरक्षित ताला-बंद रखा जाएगा। इन्हें सिर्फ भंडारी या प्राचार्य द्वारा ही उपयोग हेतु निकाल कर सफ़ाई कर्ता को दिया जायेगा। सफ़ाई के बाद शेष बचे रसायनों/ क्लीनर्स को भी इसी सावधानी के साथ वापस भण्डार-कक्ष में रखा जाएगा।

1.2 विद्यालयों को खोलने के बाद की सफ़ाई संबंधी कार्यवाही:

1.2.1 सभी विद्यालयों को खोलने के बाद प्राचार्य द्वारा प्रतिदिन **परिशिष्ट-1** तथा उपरोक्त बिंदु 1.1.3 में दिए अनुसार विद्यालय के सभी शिक्षण/ डेमोंस्ट्रेशन संबंधी कार्यक्षेत्र, प्रयोगशालाओं, पीने और हाथ धोने के स्टेशनों, वॉशरूम और लैवेटरी और अन्य सामान्य उपयोग वाले क्षेत्रों को 1% सोडियम हाइपोक्लोराइट सोल्यूशन से साफ़ और कीटाणुशोधित कराया जायेगा।

1.2.2 फर्श की दैनिक सफाई की जाएगी।

1.2.3 कक्षाओं की शुरुआत से पहले और दिन के अंत में सभी क्लास रूम, प्रयोगशालाओं, लॉकर, पार्किंग क्षेत्र, अन्य सामान्य क्षेत्रों आदि की बार-बार

छुई जाने वाली सतहों (दरवाज़े के नॉब, लिफ्ट बटन, हाथ रेल, कुर्सियाँ, बेंच, वॉशरूम फिक्सचर, आदि) की दैनिक सफाई और कीटाणुशोधन (1% सोडियम हाइपोक्लोराइट के उपयोग से) किया जाना अनिवार्य होगा।

1.2.4 शिक्षण सामग्री, कंप्यूटर, लैपटॉप, प्रिंटर, 70% अल्कोहल वाइप्स द्वारा कीटाणुरहित किये जायेंगे।

1.2.5 सभी पीने और हाथ धोने के स्टेशनों, वॉशरूम और लैवेटरी (शौचालय) की भली-भाँती सफाई सुनिश्चित की जाएगी।

1.2.6 शौचालयों में साबुन और अन्य सामान्य क्षेत्रों में हैंड सैनिटाइज़र की पर्याप्त मात्रा में व्यवस्था सुनिश्चित की जानी चाहिए।

2. विद्यालय संचालन प्रारंभ करने हेतु की जाने वाली कार्यवाही

2.1 विद्यालय को खोलने के पहले प्राचार्य द्वारा उपरोक्त बिंदु क्रमांक 1.1.2 तथा **परिशिष्ट-1 और 3** में दिए निर्देशानुसार विद्यालय को साफ़ और कीटाणुशोधित कराया जायेगा।

2.2 ऑनलाइन/ दूरस्थ शिक्षा की अनुमति जारी रहेगी और इसे प्रोत्साहित किया जाएगा।

2.3 कक्षा 9वीं से 12वीं तक के विद्यार्थियों को अपने पालक/ अभिभावक की लिखित अनुमति से अपने शिक्षकों के मार्गदर्शन के लिए स्वैच्छिक आधार पर कक्षाओं को ऑनलाइन/ दूरस्थ शिक्षा से या भौतिक रूप से विद्यालय आकर मार्गदर्शन (गाइडेंस) प्राप्त करने का विकल्प दिया जायेगा।

2.4 विद्यालय हेतु शिक्षण और गैर-शिक्षण कर्मचारियों के कुल स्वीकृत पदों के 50% शिक्षण और गैर-शिक्षण कर्मचारियों को ऑनलाइन शिक्षण/ टेली-काउंसलिंग और संबंधित कार्यों के लिए विद्यालय बुलाया जा सकेगा।

2.5 सभी कर्मचारी जो उच्च जोखिम पर हैं, यानी अधिक उम्र वाले कर्मचारी, गर्भवती कर्मचारी और कर्मचारी जिन्हें ख़राब स्वास्थ्य की स्थिति को ध्यान में रखते हुए अतिरिक्त सावधानी बरतने के लिए कहा गया हो, उन्हें विद्यार्थियों के साथ सीधे संपर्क में आने की आवश्यकता वाले किसी भी फ्रंट-लाइन काम में नहीं लगाया जाएगा।

2.6 सभी विद्यार्थी, शिक्षक और गैर-शिक्षण कर्मचारी एक दूसरे से हर समय 6 फीट की शारीरिक दूरी बनाए रखेंगे और इनके द्वारा सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों (**परिशिष्ट-2**) का पालन किया जाएगा। इसके अनुसार गतिविधियों और बैठने की योजना तय की जायेगी।

2.7 विद्यार्थियों का विद्यालय आना तथा उनके और शिक्षक के बीच परस्पर संवाद (इंटरेक्शन) छोटे-छोटे समूहों में पर्याप्त अंतराल पर (स्टेगर्ड ढंग से) आयोजित

किया जाना चाहिए। मार्गदर्शन गतिविधियों के लिए विद्यार्थियों को कम संख्या वाले छोटे-छोटे बैचों में पर्याप्त समय अंतराल पर (स्टैगरिंग करते हुए) विद्यालय बुलाया जायेगा। इस हेतु कक्षा में पर्याप्त भौतिक दूरी बनाये रखने और कक्षा के कीटाणुशोधन को ध्यान में रखते हुए विद्यार्थियों/ शिक्षकों हेतु अलग-अलग टाइम-स्लॉट तय किये जायेंगे।

2.8 प्राचार्य द्वारा उपरोक्तानुसार विद्यार्थियों हेतु विद्यालय में मार्गदर्शन (गाइडेंस) लेने हेतु आने के लिए टाइम टेबल निर्धारित किया जाएगा और उन्हें सूचित किया जाएगा कि कौन-कौन से विद्यार्थी किस दिनांक को, किस समय उपस्थित होंगे।

2.9 प्रवेश और निकास के लिए एक से अधिक फाटकों (गेट्स) का उपयोग किया जाना चाहिए।

2.10 विद्यालय में प्रवेश (एंट्री पॉइंट) पर अनिवार्य हाथ की स्वच्छता के लिए सैनिटाइजर डिस्पेंसर और थर्मल स्क्रीनिंग की व्यवस्था होनी चाहिए। थर्मल स्क्रीनिंग हेतु थर्मल गन का उपयोग माथे पर न करके हथेली के पीछे किया जाना चाहिए।

2.11 परिसर के अंदर और बाहर कतार प्रबंधन (क्यू मैनेजमेंट) सुनिश्चित करने के लिए, 6 फीट के अंतर पर विशिष्ट चिह्नों को फर्श पर बनाया जा सकता है।

2.12 साबुन की व्यवस्था के साथ-साथ हाथ धोने की सुविधा सुनिश्चित की जायेगी। इसके लिए स्कूल खुलने के पहले विद्यार्थियों के हाथ धोने हेतु हैण्ड-वॉश स्टेशन तैयार किया जाना चाहिए।

2.13 पर्याप्त कवर किए गए डस्टबिन और कचरा डिब्बे की उपलब्धता कक्षाओं, कार्यालय, बरामदों, शौचालय और परिसर में सुनिश्चित की जायेगी।

2.14 इनमें इस्तेमाल किए गए फेस कवर/ मास्क को डिस्पोज (निपटान) किया जाए। इन्हें 3 दिनों तक डिब्बे में संग्रहीत किया जा सकता है और काटने/ कतरने के बाद सूखे सामान्य ठोस अपशिष्ट के रूप में निपटाया जा सकता है। उपयोग किये गए व्यक्तिगत सुरक्षा आइटम और सामान्य कचरे के उचित निपटान के लिए सी.पी.सी.बी. दिशानिर्देशों के अनुसार प्रावधान किया जाये, जो निम्नलिखित लिंक पर उपलब्ध हैं:
https://www.mohfw.gov.in/pdf/Guidelinesonyogainstitutesandgymnasiums03082020.pdf

2.15 हाउसकीपिंग और सफ़ाई कर्मचारियों को अपशिष्ट प्रबंधन और निपटान के मानदंडों के बारे में सूचित और प्रशिक्षित किया जाना चाहिए।

2.16 प्रत्येक विद्यालय में प्राचार्य द्वारा एक 'आइसोलेशन कक्ष' तैयार किया जाएगा। यदि विद्यालय आये किसी विद्यार्थी/ शिक्षक/ कर्मचारी में कोरोना के लक्षण दिखाई दें तो इस संबंध में उनके परिवार को तत्काल सूचित करें। निकटतम चिकित्सा

सुविधा (अस्पताल / क्लिनिक) को तुरंत सूचित करें या राज्य या जिला हेल्पलाइन पर कॉल करें। ऐसे व्यक्ति को जल्दी से जल्दी स्थानीय स्वास्थ्य केंद्र भेजा जाना चाहिए। इस कार्य के प्रबंध में लगने वाले समय तक उसे अन्य लोगों से अलग करके आइसोलेशन कक्ष में रखा जाएगा, जिससे वह अन्य लोगों के संपर्क में न आ सके। ऐसे रोगी मास्क/ फेस कवर पहन करके अन्य लोगों से अलग-थलग रहें। यदि व्यक्ति पॉजिटिव पाया जाता है तो परिसर का कीटाणुशोधन किया जाएगा।

2.17 शिक्षकों और कर्मचारियों को विद्यालय प्रबंधन द्वारा व्यक्तिगत सुरक्षा वस्तुओं जैसे फेस कवर/ मास्क, विज़र्स, हैंड सैनिटाइज़र आदि का उचित बैक-अप स्टॉक उपलब्ध कराया जाएगा।

2.18 कोविड-19 हेतु थर्मल गन, अल्कोहल वाइप्स, 1% सोडियम हाइपोक्लोराइट के घोल और डिस्पोजेबल पेपर टॉवल, साबुन, आईईसी सामग्री की पर्याप्त आपूर्ति सुनिश्चित की जायेगी। रोगग्रस्त व्यक्ति के ऑक्सीजन संतृप्ति स्तर की जांच के लिए पल्स ऑक्सीमीटर की व्यवस्था की जानी चाहिए।

2.19 प्राचार्य द्वारा विद्यालय में स्थान-स्थान पर कोविड-19 (नोवेल कोरोना वायरस) के संबंध में रखी जाने वाली सावधानियों के बारे में बड़े-बड़े अक्षरों में लिखी गयी पठनीय सूचनाएं पोस्टर्स/ स्टैंडीज़ के माध्यम से प्रमुखता से प्रदर्शित की जाएंगी, जैसे :

3.21.1 सोशल डिस्टेंसिंग के नियम **(परिशिष्ट-2)**

3.21.2 हाथ धोने की विधि **(परिशिष्ट-3)**

3.21.3 कोविड-19 (नोवेल कोरोना वायरस) से बचाव के उपाय और सावधानियाँ **(परिशिष्ट-4)**

2.20 विद्यालय द्वारा राज्य हेल्पलाइन नंबर और स्थानीय स्वास्थ्य प्राधिकरण आदि के नंबर को विद्यालय में प्रदर्शित किया जायेगा, जिससे किसी भी आपात स्थिति के दौरान शिक्षकों/ विद्यार्थियों/ कर्मचारियों द्वारा संपर्क किया जा सके।

3. विद्यालय के संचालन और प्रबंधन की व्यवस्थाएं

3.1 विद्यालय में प्रारंभिक दिनों में विद्यार्थियों, शिक्षकों और गैर-शिक्षण कर्मचारियों को इस एस.ओ.पी. के आधार पर प्रशिक्षित किया जाएगा और बातचीत करके तय किया जाएगा कि मार्गदर्शन सत्र कैसे आयोजित किये जायेंगे।

3.2 सभी कर्मचारियों और विद्यार्थियों द्वारा iGOT ऑनलाइन मॉड्यूल प्रशिक्षण पाठ्यक्रम 'कोविड पर बुनियादी जागरूकता' का प्रशिक्षण लिया जा सकता है, जो निम्नलिखित लिंक पर उपलब्ध हैं:

https://diksha.gov.in/igot/explore-course/course/do_313010389971255296164

3.3 परिसर में केवल एसिम्प्टोमेटिक व्यक्तियों (शिक्षकों, कर्मचारियों और छात्रों) को आने की अनुमति दी जाएगी। यदि किसी विद्यार्थी/ शिक्षक/ कर्मचारी में कोविड-19 के लक्षण पाये जाते हैं, तो उसे निकटतम स्वास्थ्य केंद्र में जल्दी से जल्दी भेजा जाना चाहिए।

3.4 विद्यालय में आगंतुकों का प्रवेश सख्ती से विनियमित/ प्रतिबंधित किया जाएगा।

3.5 विद्यालय आने वाले सभी विद्यार्थियों, शिक्षकों और गैर-शिक्षण कर्मचारियों द्वारा भी हर समय सामाजिक दूरी (सोशल डिस्टेंसिंग) के नियमों **(परिशिष्ट-2)** का पालन किया जाएगा। इन्हें कक्षावार अलग-अलग कक्षों में 6 फीट की दूरी के मान से सीमित संख्या में बैठाया जाएगा।

3.6 पार्किंग स्थल, गलियारों में और लिफ्ट में उचित भीड़ प्रबंधन हेतु विधिवत 6 फीट की शारीरिक दूरी बनाये रखने के मानदंडों और सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का पालन किया जाएगा। स्टाफ रूम, कार्यालय क्षेत्र (रिसेप्शन क्षेत्र सहित), लाइब्रेरी और अन्य स्थानों पर भी 6 फीट की शारीरिक दूरी बनाए रखी जाएगी।

3.7 सभी विद्यार्थियों, शिक्षकों और गैर-शिक्षण कर्मचारियों द्वारा पूरे समय नाक, मुँह और ठुड्डी को ढँकने वाला मास्क लगाए रखा जायेगा।

3.8 विद्यालय में थूंकना प्रतिबंधित रहेगा।

3.9 श्वसन शिष्टाचार का सख्ती से पालन किया जाए। इसमें खाँसते या छींकते समय टिश्यू/ रूमाल/ कोहनी से मुंह और नाक को ढंकना शामिल है।

3.10 विद्यार्थियों, शिक्षकों और कर्मचारियों द्वारा हाथ गंदे न दिखने पर भी समय-समय पर अपने हाथ साबुन से 40 से 60 सेकंड तक धोये जाएं। सैनिटाइज़र के उपयोग की स्थिति में इससे 20 सेकंड तक हाथ साफ़ किये जाने चाहिए।

3.11 विद्यालय प्रशासन द्वारा बायोमेट्रिक उपस्थिति के बजाय संपर्क रहित उपस्थिति की वैकल्पिक व्यवस्था की जाएगी।

3.12 कक्षों की खिड़कियाँ/ दरवाज़े यथासंभव खोल कर रखे जाएंगे।

3.13 एयर-कंडीशनिंग/ वेंटिलेशन के लिए, सी.पी.डब्ल्यू.डी. के दिशानिर्देशों का पालन किया जाएगा, जो इस बात पर जोर देता है कि सभी एयर कंडीशनिंग उपकरणों की तापमान सेटिंग 24-30° C की सीमा में होनी चाहिए, सापेक्ष आर्द्रता 40-70% होनी चाहिए, ताज़ी हवा जितनी अधिक संभव हो उतनी ग्रहण हो सके और क्रॉस वेंटिलेशन पर्याप्त होना चाहिए।

3.14 शिक्षक विद्यार्थियों का परस्पर संवाद मौसम को ध्यान में रखते हुए बाहरी स्थानों का उपयोग करते हुए संचालित किया जा सकता है। ऐसा करते समय विद्यार्थियों की सुरक्षा और शारीरिक दूरी के प्रोटोकॉल का ध्यान रखा जायेगा।

3.15 असेंबलियों, खेल और ऐसी गतिविधीयाँ/ समारोह, जिनमें भीड़ इकट्ठा हो सकती हो, सख्ती से निषिद्ध रहेंगे।

3.16 स्वास्थ्य सुरक्षा कारणों से छात्रों को किसी भी सफाई गतिविधियों में शामिल नहीं किया जाएगा।

3.17 विद्यालय में साफ़ पानी और स्वच्छता की व्यवस्था **परिशिष्ट-5** में दिए अनुसार की जाए।

4. **कक्षा का प्रबंधन और व्यवस्थाएं**

4.1 कुर्सियों, डेस्क आदि के बीच 6 फीट की दूरी सुनिश्चित करते हुए बैठने की व्यवस्था की जायेगी।

4.2 प्राचार्य, शिक्षक और अन्य कर्मचारी यह सुनिश्चित करेंगे कि मार्गदर्शन गतिविधियों के संचालन के दौरान वे स्वयं और विद्यार्थी मास्क पहने रहेंगे।

4.3 विद्यार्थी और शिक्षक दूसरों के सामानों जैसे पेन, पेंसिल, रबर, शार्पनर, स्केल, ज्योमेट्री बॉक्स और उसके उपकरण, कॉपी, किताब, बैग, टिफिन, पानी की बोतल, रुमाल आदि का उपयोग न करें, इन्हें साझा न करें और न ही इन्हें छुएं।

4.4 विद्यार्थियों को 6 फीट दूर बैठाने की स्थिति में एक कक्ष में पूर्व की तुलना में कम विद्यार्थी ही आ सकेंगे। ऐसे में हो सकता है कक्षों की संख्या कम पड़ जाए या कक्षाओं में बैठने का स्थान अपर्याप्त पड़ जाये। यदि सभी विद्यार्थियों को एक साथ, एक कक्षा में बैठाना संभव न हो तो विद्यार्थियों को मार्गदर्शन (गाइडेंस) प्राप्त करने हेतु छोटे-छोटे बैचों समय के अंतराल से (स्टेगर्ड ढंग से) एक से अधिक कक्षों में बैठाया जाए। आवश्यकतानुसार स्कूल को 2 पालियों में चलाया जा सकता है। ऐसा निर्णय शाला प्रबंधन समिति से कराना जाएगा।

4.5 प्रतिदिन विद्यार्थियों और शिक्षकों के साथ कोविड-19 संबंधी ड्रिल की जायेगी। इसमें:

4.6.1 हाथ धोने की सही विधि का डेमो (प्रदर्शन) **परिशिष्ट-3** में दी गयीविधि अनुसार किया जाएगा। विद्यार्थियों द्वारा सामाजिक दूरी का पालन करते हुए उसके अनुसरण की गतिविधि की जायेगी।

4.6.2 कोविड-19 बीमारी (नोवेल कोरोना वायरस) संबंधी **परिशिष्ट-2** से **परिशिष्ट-4** में दी गयी जानकारियाँ और शासन/ प्रशासन द्वारा समय-समय पर जारी तथ्यपरक जानकारी भी दी जायेगी। इसके अलावा कोविड-19 के संबंध में चर्चा भी की जायेगी जैसे:

4.6.2.1 कोविड-19 के लक्षण क्या-क्या हैं? कोविड-19 के थोड़े से भी लक्षण दीखने पर फ़ौरन डॉक्टर को दिखाएं, अपना इलाज स्वयं न करें।

4.6.2.2 सोशल डिसटेंसिंग क्या है और उसके क्या लाभ हैं? हाथ धोने और मास्क पहनने के क्या लाभ हैं?

4.6.2.3 यदि कोई छात्र, शिक्षक या कर्मचारी बीमार है, तो उन्हें स्कूल नहीं आना चाहिए ।

4.6.2.4 स्कूल छोड़ते समय और अपने खाली समय में विद्यार्थी इकट्ठा न हो।

4.6.2.5 विद्यार्थियों, शिक्षकों और कर्मचारियों को कन्टेनमेंट ज़ोन क्षेत्रों में नहीं जाना चाहिए।

4.6.2.6 विद्यार्थी और अन्य स्टाफ अफवाहों से बचें।

4.6.2.7 कोविड-19 को लेकर चिंता, दबाव या भय व्याप्त न हो, सभी इसके लिये प्रयास करें।

4.6.2.8 कोविड-19 से ठीक होकर विद्यालय वापस आने वाले विद्यार्थियों, शिक्षकों और अन्य कर्मचारियों का खुले दिल से स्वागत किया जाना चाहिए। उनसे दुराव न मानें। उन्हें अपमानित महसूस न होने दें।

4.6 कोविड संबंधी उचित व्यवहार के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए विद्यार्थियों, माता-पिता, शिक्षकों और कर्मचारियों को ऊपर दिए गए सामान्य उपायों पर सेंसीटाइज़ करें (संवेदनशील बनाएं)।

5. प्रयोगशाला संचालन की व्यवस्थाएं

5.1 प्रयोगशालाओं में प्रयोगिक गतिविधियों के लिए प्रत्येक कालखंड में अधिकतम विद्यार्थी संख्या रिडिज़ाइंड स्थान और शिड्यूल के आधार पर नियत की जा सकती है।

5.2 सुनिश्चित किया जाएगा कि उपकरणों को प्रत्येक उपयोग के पहले और बाद में कीटाणुरहित किया गया है, विशेष रूप से प्रयोगशाला/ उपकरणों की अक्सर छुई जाने वाली सतहों को।

5.3 उपकरण/ वर्क-स्टेशन पर काम करने के लिए प्रति व्यक्ति 4 वर्गमीटर का फर्श क्षेत्र सुनिश्चित करें।

5.4 सुनिश्चित करें कि प्रत्येक व्यक्ति उपकरण का उपयोग करने से पहले और बाद में अपने हाथों को साफ करे। इस के लिए वर्कस्टेशन, सिमुलेशन लैब, आदि में हैण्ड सैनिटाइज़र प्रदान किया जाना चाहिए।

6. **सामान्य क्षेत्रों में गतिविधियाँ - पुस्तकालय, मेस/ कैंटीन, कॉमन रूम, व्यायामशाला आदि।**

6.1 पुस्तकालय, कॉमन रूम, स्टाफ़ रूम, व्यायामशाला, आदि सभी स्थानों पर भी 6 फीट की शारीरिक दूरी बनाए रखी जाये।

6.2 आम क्षेत्रों का उपयोग करने वाले व्यक्ति हर समय मास्क/ फेस कवर का उपयोग करें।

6.3 कैफेटेरिया/ मेस की सुविधा, यदि कोई परिसर के भीतर है, तो बंद रहेगी।

6.4 जिम्नेज़ियम में स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के निम्नानुसार निर्देशों का पालन होगा https://www.mohfw.gov.in/pdf/Guidelinesonyogainstratesandgymnasiums03082020.pdf

6.5 स्विमिंग पूल बंद रखे जायेंगे।

7. **परिवहन**

7.1 यदि स्कूल द्वारा परिवहन सुविधा का प्रबंध किया जा रहा है, तो बसों/ अन्य परिवहन वाहनों की प्रतिदिन प्रत्येक उपयोग से पूर्व 1% सोडियम हाइपोक्लोराइट से उचित सफ़ाई और कीटाणुशोधन किया जायेगा।

7.2 बसों/ अन्य परिवहन वाहनों में भी सामजिक दूरी के नियमों **(परिशिष्ट-2)** और कोरोना से बचाव के उपायों **(परिशिष्ट-4)** का पालन सुनिश्चित किया जाएगा।

20/9/20

(प्रमोद सिंह)

उप सचिव

मप्र शासन स्कूल शिक्षा विभाग

परिशिष्ट-1

विद्यालय का सैनिटाइज़ेशन (सफ़ाई) और डिसइन्फेक्शन (कीटाणुशोधन)

इनडोर क्षेत्रों (भवन के अन्दर के क्षेत्रों) की सफ़ाई और कीटाणुशोधन

1. प्रतिदिन स्कूल समाप्त (ओवर) होने के बाद और सभी विद्यार्थियों के घर चले जाने के बाद, स्कूल को सैनिटाइज़ (साफ़) और डिसइन्फेक्ट (कीटाणुशोधित) कराया जायेगा। अन्यथा कि स्थिति में स्कूल प्रारंभ होने के पहले भी स्कूल की सफ़ाई और कीटाणुशोधन का कार्य कराया जा सकता है। स्कूल प्रारंभ होने के पहले यदि यह कार्य कराया जाता है, तो इसे स्कूल प्रारंभ होने के कम से कम एक घंटे पूर्व समाप्त कर लिया जाना चाहिए।
2. सैनिटाइज़ (साफ़) और डिसइन्फेक्ट (कीटाणुशोधित) करने के कार्य हेतु हमेशा ताजा तैयार 1% सोडियम हाइपोक्लोराइट का उपयोग किया जाना चाहिए। 1% सोडियम हाइपोक्लोराइट का ताजा घोल तैयार करने के लिए निम्नलिखित में से किसी एक उत्पाद को लेकर उसके समक्ष कॉलम नंबर 4 में दी गयी विधि को अपनाया जा सकता है:

स.क्र.	उत्पाद/ रसायन	उपलब्ध क्लोरीन	1% सोडियम हाइपोक्लोराइट घोल तैयार करने की विधि
1	2	3	4
1.	सोडियम हाइपोक्लोराइट - तरल ब्लीच	3.5%	1 भाग ब्लीच 2.5 भाग पानी
2.	सोडियम हाइपोक्लोराइट - तरल	5%	1 भाग ब्लीच 4 भाग पानी
3	NaDCC (सोडियम डाइक्लोरो-आइसोसायान्यूरेट) पाउडर	60%	17 ग्राम पाउडर प्रति 1 लीटर पानी
4.	NaDCC (1.5 ग्राम / टैबलेट) - टैबलेट्स	60%	11 टैबलेट्स प्रति 1 लीटर पानी
5.	क्लोरामाइन - पाउडर	25%	80 ग्राम प्रति 1 लीटर पानी
6.	ब्लीचिंग पाउडर	70%	7 ग्राम प्रति 1 लीटर पानी
7.	अन्य कोई उत्पाद	उत्पाद निर्माता द्वारा पैकिंग पर दिए निर्देशों के अनुसार	

3. कोरोनोवायरस के खिलाफ प्रभावी होने वाले किसी भी अन्य कीटाणुनाशक यथा क्लोरोक्सिलेनॉल (4.5-5.5%) या बेंज़ालोनियम क्लोराइड का उपयोग भी निर्माता के निर्देशों के अनुसार किया जा सकता है।

4. निम्नानुसार इंडोर क्षेत्रों की फर्श को 1% सोडियम हाइपोक्लोराइट या फ़ेनोलिक कीटाणुनाशक (फ़िनाइल) का पोंछा लगवा कर सैनिटाइज़ करायें:
   4.1 प्रवेश द्वार लॉबी, गलियारे, बरांडे, सीढ़ी, आदि।
   4.2 कमरे जैसे - सुरक्षा गार्ड बूथ, कक्षा-कक्ष, कार्यालय-कक्ष, बैठक-कक्ष, आदि।
   4.3 सैनिटाइज़ेशन का कार्य करते समय साफ़ क्षेत्रों से शुरू करते हुए दूषित क्षेत्रों की ओर आगे बढ़ना चाहिए।
5. **बार-बार छुई जाने वाली सतहों/ वस्तुओं की सफ़ाई और कीटाणुशोधन**
   5.1 बार-बार छुई जाने वाली सतहों/ वस्तुओं को प्रतिदिन 1% सोडियम हाइपोक्लोराइट के घोल से भीगे कपड़े से पोंछ कर साफ़ करवाएं, जैसे:
      5.1.1 भवन, सीढ़ियों और बरांडे की रेलिंग या सीमेंट की पैरापेट वॉल या रेलिंग/ धातु की हैण्ड रेल, पब्लिक काउंटर, आदि।
      5.1.2 समस्त उपकरणों के बटन और उनके रिमोट जैसे - टेलीफोन, इंटरकॉम सिस्टम, सीसी टी.वी., टी.वी., फ्रिज, एल.सी.डी. प्रोजेक्टर, डेस्कटॉप कंप्यूटर, लैपटॉप, कीबोर्ड, माउस, माउस-पैड, प्रिंटर/ स्कैनर, कैलकुलेटर, आदि।
      5.1.3 समस्त स्विच और प्लग जैसे - कॉल बटन, फैन, लाइट, आदि के स्विच।
      5.1.4 कार्यालयीन सामग्री जैसे - पेन, डायरी, फाइल, पेपर वेट, रूलर, कैंची, गोंद की शीशी, आदि।
      5.1.5 चाय/ कॉफी डिस्पेंसिंग मशीन, सोप डिस्पेंसर, सेनेटरी पैड डिस्पेंसिंग मशीन, आदि।
      5.1.6 कक्षा कक्षों, कार्यालय कक्षों, आदि का समस्त फर्नीचर जैसे कुर्सी (विशेषकर हत्था), टेबल (विशेषकर टेबल-टॉप), लंच टेबल, अलमारी (विशेषकर हैंडल और पल्लों के किनारे), आदि।

5.2 अल्कोहल वाइप्स का उपयोग ऐसी सतहों को पोंछने के लिए किया जा सकता है, जहां ब्लीच का उपयोग उपयुक्त नहीं है, जैसे धातु की वस्तुएं, सामान, आदि।

5.3 सफाई प्रक्रिया के अंत में सफाईकर्ता चश्मा, मास्क, दस्ताने और हेडकवर उतार दें। साबुन से हाथ धोएं। सफ़ाई में पुनः उपयोग हेतु सावधानीपूर्वक डिटर्जेंट से साफ करें।

6. **आउटडोर क्षेत्रों (बाहरी क्षेत्र) का सैनिटाइज़ेशन:**

बाहरी क्षेत्रों में हवा और सूर्य के प्रकाश के संपर्क के कारण कम जोखिम होता है। बाहरी क्षेत्र में भी बार-बार छुई जाने वाली सतहों जैसे नल, हैंडपंप, गेट का हैंडल,

झूले, पानी के पंप के बटन, आदि की सफाई और कीटाणुशोधन ऊपर बताई गई विधि से करना चाहिए।

7. **शौचालय का सैनिटाइज़ेशन (सफाई/ विसंक्रमण)**

शौचालय की सफ़ाई के लिए अलग सफ़ाई उपकरण (मॉप्स, नायलॉन स्क्रबर) और सिंक की सफ़ाई के लिए अलग सफ़ाई उपकरण उपयोग करना चाहिए। इसी प्रकार यूरिनल और कमोड के लिए के लिए अलग सफाई उपकरण उपयोग करना चाहिए। इनकी सफ़ाई नीचे दिए अनुसार की जाए:

शौचालय का एरिया	अनुशंसित क्लीनर/ उपकरण	सफ़ाई की प्रक्रिया
टॉयलेट सीट/ कमोड	• सोडियम हाइपोक्लोराइट 1% / डिटर्जेंट • साबुन पाउडर • लंबे हैंडल वाला कोणीय ब्रश	• टॉयलेट सीट/ कमोड के अंदर अनुशंसित क्लीनर और लंबे हैंडल वाले कोणीय ब्रश के साथ स्क्रब करें। • टॉयलेट सीट/ कमोड के बाहर अनुशंसित क्लीनर और स्क्रबर से साफ करें ।
टॉयलेट सीट/ कमोड/ कमोड का ढक्कन	• नायलॉन स्क्रबर • साबुन पाउडर/ डिटर्जेंट • 1% सोडियम हाइपोक्लोराइट	• साबुन पाउडर और नायलॉन स्क्रबर से अंदर और बाहर गीला करें और रगड़ें। • 1% सोडियम हाइपोक्लोराइट से पोंछें।
शौचालय/ बाथरूम का फर्श	• साबुन पाउडर/ डिटर्जेंट • स्क्रबिंग ब्रश/ नायलॉन झाड़ू • 1% सोडियम हाइपोक्लोराइट	• साबुन पाउडर और स्क्रबिंग ब्रश से फर्श को साफ़ करें। • 1%सोडियम हाइपोक्लोराइट डाइल्यूशन उपयोग करें। • फिर पानी से धो लें।
सिंक (वॉश बेसिन)	• साबुन पाउडर/ डिटर्जेंट • नायलॉन स्क्रबर • 1% सोडियम हाइपोक्लोराइट	• नायलॉन स्क्रबर से स्क्रब करें। • 1% सोडियम हाइपोक्लोराइट से पोंछ कर साफ़ करें।
स्नान घर (बाथरूम)/ नल और फिटिंग	• गर्म पानी • डिटर्जेंट पाउडर • नायलॉन स्क्रबर • 1% सोडियम हाइपोक्लोराइट	• गर्म पानी और डिटर्जेंट से फर्श/ टाइल्स को अच्छी तरह से साफ़ करें। • गीले कपड़े और डिटर्जेंट से नल और फिटिंग पोंछें। • नल और फिटिंग के निचले भाग को साफ करने का विशेष ध्यान रखें। • 1% सोडियम हाइपोक्लोराइट से पोंछें।

शौचालय का एरिया	अनुशंसित क्लीनर/ उपकरण	सफ़ाई की प्रक्रिया
साबुनदानी, सोप डिस्पेंसर, बाल्टी (विशेषकर हैण्डल), मग	• डिटर्जेंट • पानी	• डिटर्जेंट और पानी से प्रतिदिन साफ़ करके सूखने को छोड़ दें।
टॉयलेट से पानी निकलने की जाली और नालियाँ	• नायलॉन झाड़ू • फिनाइल	• फिनाइल से साफ़ करें।

परिशिष्ट-2

सोशल डिस्टेंसिंग (सामाजिक दूरी) के नियम

कक्षा, पुस्तकालय, प्रयोगशाला, टॉयलेट, टी.वी. रूम, बरामदों कार्यालय और में भी सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का पालन क्रिया जायेगा। जो निम्नानुसार हैं:

1. विद्यालय में किसी भी स्थिति में, किसी भी स्थान पर विद्यार्थियों, शिक्षकों, अन्य कर्मचारियों, आगंतुकों/ग्रामीणों, शासकीय कार्यकर्ताओं या अन्य लोग एक स्थान पर एकत्रित नहीं होने चाहिए।
2. विद्यार्थी, शिक्षक, कर्मचारी, विद्यालय आने वाले आगंतुक एक दूसरे से सभी जगह, हरदम 6 फीट की दूरी बना कर रखेंगे।
3. विद्यार्थी, शिक्षक, कर्मचारी, विद्यालय आने वाले आगंतुक कक्षा, स्टाफ़रूम, कार्यालय, प्रयोगशाला, पुस्तकालय, टॉयलेट और अन्य सभी जगह एक दूसरे से 6 फीट दूर बैठेंगे।
4. प्राचार्य/ शिक्षक विद्यालय में प्रवेश और निर्गम के समय विद्यार्थियों को एक साथ न तो आने दें और न ही छोड़ें, अर्थात इनकी स्टैगरिंग करें। इसके लिए विद्यार्थियों की पंक्ति बनवाकर, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए स्कूल/ विद्यालय के अन्दर प्रवेश दें या निर्गम दें। इस हेतु कक्षा के बाहर, बरामदों में और गेट पर परिसर के अंदर और बाहर कतार प्रबंधन (क्यू मैनेजमेंट) सुनिश्चित करने के लिए, 6 फीट के अंतर पर विशिष्ट चिह्नों को फर्श पर बनाया जाकर इसका उपयोग किया जा सकता है।
5. विद्यार्थियों/ शिक्षकों/ कर्मचारियों/ अन्य-आगंतुकों के लिए निम्नलिखित गतिविधियाँ प्रतिबंधित रहेंगी:
   - 5.1 ऐसे कार्य/ गतिविधियाँ वर्जित रहेंगे जिसमें विद्यार्थियों, शिक्षकों, अन्य कर्मचारियों या आगंतुकों को अन्य किसी को छूना हो।
   - 5.2 विद्यार्थी, शिक्षक, प्राचार्य, अन्य कर्मचारी और आगंतुक अभिवादन स्वरुप किसी से भी हाथ न मिलाएं और गले न मिलें। एक दूसरे से मिलने पर नमस्ते करें।
   - 5.3 ऐसी समस्त गतिविधियाँ प्रतिबंधित रहेंगी, जिनमें बच्चे सामूहिक रूप से एक स्थान पर एकत्रित होते हों, जैसे - असेंबली, प्रार्थना सभा, सांस्कृतिक या अन्य समारोह, खेल समारोह, बालसभा, पी.टी. आदि।
   - 5.4 विद्यार्थी, शिक्षक, प्राचार्य, अन्य कर्मचारी और आगंतुक दूसरों के सामानों जैसे पेन, पेंसिल, रबर, शार्पनर, स्केल, ज्योमेट्री बॉक्स और उसके उपकरण, कॉपी, किताब, बैग, टिफिन, पानी की बोतल, आदि का उपयोग न करें और न ही छुएं। यदि वे ऐसा करते हैं तो तत्काल उनके हाथ साबुन से 40 से 60 सेकंड तक धुलवायें।

परिशिष्ट-3

हाथ धुलाई (हैण्ड वॉश), इसकी विधि और सावधानियों

प्रत्येक विद्यार्थी, शिक्षक और कर्मचारी, प्रत्येक एक डेढ़ घंटे के बाद साबुन से 40 से 60 सेकंड तक हाथ धोए। विद्यार्थियों के हाथ धोने हेतु स्कूल प्रारंभ होने के पहले हैण्ड वॉश स्टेशन तैयार हो।

प्राचार्य द्वारा हाथ धोने के विभिन्न चरणों को दर्शाने वाले उपरोक्तानुर चित्र/ पोस्टर, हाथ धोने के स्थान पर अवश्य लगाया जावें। इन्हें टॉयलेट के प्रवेश द्वार और इसके अंदर भी प्रदर्शित करें।

परिशिष्ट-4

कोविड-19 (नोवेल कोरोना वायरस) से बचाव के उपाय और सावधानियाँ

1. सर्दी, खांसी, बुखार, स्वाद या गंध न आना या सांस लेने में तकलीफ होना कोरोना के लक्षण हैं, ये लक्षण किसी साथी में दिखने पर तंत्काल अपने शिक्षक/ प्राचार्य को सूचित करें।
2. सभी के द्वारा अपने स्वास्थ्य की स्व-निगरानी की जाए और किसी भी बीमारी के होने पर जल्द से जल्द प्राचार्य/ शिक्षक को रिपोर्ट किया जाये।
3. सभी से कम से कम 6 फीट की शारीरिक दूरी का पालन किया जाना चाहिए।
4. हाथ गंदे दिखाई न भी दिखाई दें तब भी साबुन से बार-बार हाथों को कम से कम 40-60 सेकंड के लिए धोना। इस हेतु यदि संभव हो तो अल्कोहल-आधारित हैंड सैनिटाइज़र का उपयोग (कम से कम 20 सेकंड के लिए) किया जा सकता है।
5. श्वसन शिष्टाचार का सख्ती से पालन किया जाए। इसमें खाँसते/ छींकते समय टिश्यू/ रूमाल/कोहनी से नाक और मुंह को कवर करना और उपयोग के बाद टिश्यू का सही ढंग से निस्तारण (डिस्पोज़ल) शामिल है।
6. विद्यालय में विद्यार्थी/ स्टाफ-सदस्य/ अन्य-आगंतुकों द्वारा थूंका नहीं जाये।
7. विद्यार्थी, शिक्षक, प्राचार्य, अन्य कर्मचारी और आगंतुक दूसरों के सामानों जैसे पेन, पेंसिल, रबर, शार्पनर, स्केल, ज्योमेट्री बॉक्स और उसके उपकरण, कॉपी, किताब, बैग, टिफिन, पानी की बोतल, रुमाल आदि का उपयोग न करें और न ही छुएं।
8. जिनके पास मोबाइल उपलब्ध हो ऐसे विद्यार्थियों, शिक्षकों और अन्य कर्मचारियों को आरोग्य सेतु एप इनस्टॉल करने और उपयोग करने की सलाह दी जा सकती है।
9. फेस कवर/ मास्क का उपयोग अनिवार्यतः किया जाये। मास्क के उपयोग की सावधानियाँ निम्नानुसार हैं:
   11.1 यदि उपलब्ध हो तो बना-बनाया मास्क पहनें। बना-बनाया मास्क उपलब्ध न होने पर साफ़-धुली हुई रुमाल या गमछे या किसी अन्य कपड़े को दुहरा/ तिहरा करके मास्क की तरह उपयोग किया जा सकता है।
   11.2 मास्क से नाक, मुंह और ठुड्डी मास्क से ढँक कर रखें। सुनिश्चित करें कि नाक पर मास्क के दोनों ओर मास्क, नाक और गालों के बीच खुली जगह या अंतराल न हो। मास्क को गर्दन पर लटकने न दें।

11.3 मास्क लगाने के पहले हाथ की सफाई करें। मास्क को हटाते समय मास्क की संभावित संक्रमित बाहरी सतह को नहीं छुएं। जैसे ही मास्क गीला हो जाए, उसे बदल दें।

11.4 मास्क के रूप में उपयोग किया जा रहा कपड़ा/ गमछा रोज़ रात में कपड़ा धोने के साबुन से अच्छी तरह से धो कर साफ़ करें और सुखाएं।

11.5 यदि डिस्पोजेबल मास्क का उपयोग किया जा रहा हो तो प्रत्येक दिन उपयोग के बाद उसे फेंक दें। डिस्पोजेबल मास्क का कभी भी दूसरी बार उपयोग नहीं किया जाना चाहिए और उपयोग किये गए ऐसे मास्क का बंद मुँह वाले डस्ट-बिन में फेंक कर सुरक्षित निपटान किया जाना चाहिए।

11.6 विद्यार्थी प्रतिदिन धुला एवं स्वच्छ गणवेश पहन कर स्कूल जाएं।

11.7 विद्यार्थी, शिक्षक और कर्मचारी प्रतिदिन अपने साथ साफ़ रुमाल लेकर विद्यालय आयें।

परिशिष्ट-5

साफ़ पानी की व्यवस्था और स्वच्छता

विद्यालय में निम्नानुसार पीने के स्वच्छ पानी की व्यवस्था की जाये:

1. पेयजल को जमीन से ऊचें स्थान पर स्वच्छता के साथ भरकर रखें। पानी निकालने हेतु लंबी डण्डी वाला लोटा बच्चों की पहुँच में हो।
2. पेयजल के आस-पास एवं टोटी तथा लंबी डण्डी वाला लोटा को समय-समय पर बर्तन धोने के साबुन से विसंक्रमित करें।
3. यदि आरओ का उपयोग हो रहा हो तो उस के आस-पास एवं टोटी को समय-समय पर विसंक्रमित करें। नियत समय पर कंपनी से सर्विसिंग कराएं।
4. स्वच्छ गिलासों का उपयोग करें। उन्हें उपयोग के बाद अच्छी तरह से बर्तन धोने के साबुन से साफ़ करें।
5. विद्यालय में पर्याप्त जल, हाथ धोने का साबुन, झाड़न, पोंछे हेतु कपड़े, तौलिया की व्यवस्था की जाये। इनकी नियमित सफाई की व्यवस्था भी की जाये।